

सहकारिता प्रभाग

राज्य योजना (चालू योजना)

1. बिरसा-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (B-PMFBY)- बिरसा-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ 2024 से झारखण्ड राज्य में पुनः प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत किसानों के खरीफ एवं रबी फसलों का बीमा किया जाता है एवं फसल नुकसान से होने वाले वित्तीय हानि की भरपाई की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस हेतु मो0 40000.00 लाख (चार सौ करोड़) मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।

2. सूचना-प्रसार, सेमिनार, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, आलेखन एवं सहकारिता प्रक्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के प्रचार-प्रसार, कृषि चैपाल तथा कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु अनुदान - सरकार राज्य के किसानों को कृषि एवं अन्य संबंधित प्रक्षेत्रों में रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग प्रदान कर उनके आय के साधनों में वृद्धि के लिये कृत-संकल्प है। सहकारिता प्रक्षेत्र अन्तर्गत राँची एवं देवघर में सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है जिनमें सहकारिता प्रभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ सहकारी समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किये जाते हैं, इसके अतिरिक्त शीर्ष सहकारी संस्थाओं एवं जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर भी सहकारिता प्रभाग द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार, सेमिनार एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिसे सहकारिता क्षेत्र में कार्य कर रहे लैम्पस/पैक्स एवं विशेष प्रकार की सहकारी समितियों द्वारा किये जा रहे विभिन्न क्षेत्रों में किये जा रहे कार्यों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि उनके कार्य में गुणवत्ता एवं आर्थिक विकास सुदृढ़ की जा रही है। इसके लिए 1000.00 लाख (दस करोड़) रू0 मात्र का व्यय प्रस्तावित है। **वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सूचना-प्रसार, सेमिनार, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, आलेखन एवं सहकारिता प्रक्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के प्रचार-प्रसार, कृषि चैपाल तथा कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु 750.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।**

3. अनुदान (एपेक्स सहकारी समितियों तथा लैम्पस/पैक्स एवं सिद्धो-कान्हो सहकारी संघ के लिए अनुदान) - राज्य में वेजफेड, झारखण्डलैम्पफ, झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक, झारखण्ड एचएसबीसी एवं सिद्धो-कान्हो सहकारी संघ लि0 कार्यरत हैं, जो अपने-अपने प्रक्षेत्र में सहकारिता के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के योजनाओं का संचालन किया जाता है एवं इससे संबद्ध सहकारी समितियों के उत्थान एवं प्रगति में सहायता प्रदान किया जाता है, ताकि संबद्ध सहकारी समितियों का आर्थिक विकास किया जा रहा है। उक्त कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में एपेक्स सहकारी समितियों हेतु अनुदान की राशि निम्नवत प्रस्तावित है:-

- (a) वेजफेड, राँची का प्रस्तावित राशि- 1750.00 लाख रू0।
- (b) झारखण्डलैम्पफ, राँची का प्रस्तावित राशि- 1250.00 लाख रू0।
- (c) झारखण्डलैम्पफ, राँची का प्रस्तावित राशि- 1500.00 लाख रू0।
- (d) झारखण्ड एचएसबीसी, राँची का प्रस्तावित राशि- 1000.00 लाख रू0।
- (e) सिद्धो-कान्हो सहकारी संघ लि0, राँची का प्रस्तावित राशि- 3500.00 लाख रू0।

(f) राज्य अंतर्गत Computerization of PACS से अच्छादित लैम्पस/पैक्स को अनुदान की राशि - पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजनांतर्गत राज्य में अवस्थित कुल 4454 लैम्पस/पैक्स में से योजना के प्रथम चरण में 1500 लैम्पस/पैक्स का कम्प्यूटरीकरण का

कार्य किया जा रहा है एवं दूसरे चरण में 1297 अतिरिक्त लैम्पस/पैक्स को कम्प्यूटरीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। अर्थात् कुल-2797 लैम्पस/पैक्स को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा।

विदित हो कि Computerization of PACS योजना अंतर्गत संबंधित लैम्पस/पैक्स के द्वारा विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं, यथा- धान बीज, खाद्य, किटनाशक दवा, धान अधिप्राप्ति से संबंधित व्यवसाय, CSC, ERP, Module में डाटा की प्रविष्टि एवं अन्य कार्य। अतः उनके कार्य में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं आर्थिक विकास हो, इसके लिए प्रथम चरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 1500 लैम्पस/पैक्स को मो0 5,000.00 (पाँच हजार) रू0 प्रति माह अनुदान की दर से कुल राशि- $1500 \times 12 \times 5000 = 9,00,00,000.00$ (नौ करोड़) रू0 मात्र प्रस्तावित है। अतः **वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान (एपेक्स सहकारी समितियों, सिद्धो-कान्हो सहकारी संघ लि0 तथा लैम्पस/पैक्स के लिए अनुदान) हेतु (a से f तक) कुल-9900.00 लाख (निन्यानबे करोड़) मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।**

4. सहकारी समितियों, मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कम्प्यूटरीकरण एवं डिजीटाईजेशन के लिए अनुदान - लैम्पस/पैक्स एवं विशेष प्रकार की सहकारी समितियों, मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एवं कम्प्यूटरीकरण कर इनकी कार्य प्रणाली में डिजीटाईजेशन को बढ़ावा देते हुए एकरूपता लाना एवं इनके माध्यम से विशेषकर ग्रामीण कृषकों तक सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार करने की सहकारिता प्रभाग की योजना है।

उल्लेखनीय है कि राज्य अंतर्गत 4454 लैम्पस/पैक्स में से 2797 लैम्पस/पैक्स केन्द्रीय प्रायोजित योजना "Computerization of PACS" अंतर्गत अच्छादित है, जिनमें कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। शेष 1657 लैम्पस/पैक्स को भी कम्प्यूटरीकरण किया जाना आवश्यक है।

अतएव लैम्पस-पैक्स एवं विशेष प्रकार की सहकारी समितियों, मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कम्प्यूटरीकरण एवं डिजीटाईजेशन के लिए **वित्तीय वर्ष 2026-27 में 250.00 (दो करोड़ पाँच लाख) लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।**

5. सहकारिता प्रभाग अन्तर्गत मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, सहकारी बैंक, शीर्ष एवं अन्य सहकारी समितियों के आधारभूत संरचना विकास हेतु पूंजीगत परियोजनाएँ

(a) राज्य में 5000 एम0टी0 क्षमता के शीतगृह निर्माण- राज्य अंतर्गत कुल 20 स्थलों पर 5000 एम0टी0 क्षमता के शीतगृह निर्माण झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के माध्यम से कराया जा रहा है। उक्त योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन के आलोक में योजना हेतु अतिरिक्त राशि 500.00 लाख (पाँच करोड़) रू0 मात्र संभावित है।

अतएव आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में 5000 एम0टी0 क्षमता के शीतगृह निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि की उपलब्धता हेतु 500.00 लाख (पाँच करोड़) रू0 मात्र का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

(b) मुख्यालय, अधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं लैम्पस/पैक्स के लिये आधारभूत संरचना एवं मरम्मत- राज्य अंतर्गत 4454 लैम्पस/पैक्स में से केन्द्रीय प्रायोजित योजना "Computerization of PACS" अंतर्गत 2797 लैम्पस/पैक्स अच्छादित है, जिन्हें कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। संबंधित लैम्पस/पैक्स के सफल संचालन एवं अभिलेखों के रख-रखाव हेतु अलमिरा-2 अद, VIP

chair-2 अद visitor chair-10 अद table-2 अद की आवश्यकता है, ताकि समिति द्वारा किये जा रहे कार्यों के निष्पादन कराने में सुविधा हो सके। साथ ही साथ क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा भी उक्त सामग्री की मांग समय-समय पर की जाती रही है। अतएव राज्य के Computerizaion of PACS अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य कर रहे लैम्पस/पैक्स/क्षेत्रीय कार्यालयों में उक्त सामग्री की क्रय हेतु मो0 2628.00 लाख (छबीस करोड़ अठाईस लाख) रू0 मात्र की राशि प्रस्तावित है।

अतः वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यालय, अधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं लैम्पस/पैक्स के लिये आधारभूत संरचना हेतु कुल-2628.00 (छबीस करोड़ अठाईस लाख) लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।

(c) सहकारित प्रशिक्षण केन्द्र, मौजा फूदी, खूँटी में निर्मित भवनों में अधिष्ठापित सोलर पैनल का रख-रखाव हेतु व्यय - सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र मौजा फूदी खूँटी में निर्मित भवनों में सोलर पैनल लगाया गया है, जिसके सफल संचालन एवं रख-रखाव हेतु मो0 20.50 लाख (बीस लाख पचास हजार) रू0 मात्र का व्यय प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र मौजा फूदी खूँटी में निर्मित भवनों में सोलर पैनल के रख-रखाव हेतु Contengency मद में 20.50 (बीस लाख पचास हजार) लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।

(d) प्रखण्ड में कृषि कार्य कर रहे उत्कृष्ट लैम्पस/पैक्स/व्यापार मंडल/विशेष प्रकार की सहकारी समिति को कार्यशील पूँजी/कैष क्रेडिट एवं आधारभूत संरचना - लैम्पस/पैक्स/व्यापार मंडल के माध्यम से किसानों को खाद-बीज, कीट नाशक दवा, धान अधिप्राप्ति इत्यादि का कार्य कराया जाता है। उनके द्वारा National Seed Corporation (NSC) एवं बीज ग्राम के माध्यम से बीज प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए 50 प्रतिशत अग्रिम राशि का ड्राफ्ट छैब को उपलब्ध कराना पड़ता है। अतएव प्रखण्ड स्तर पर लैम्पस/पैक्स/व्यापार मंडल जिसके द्वारा प्रति वर्ष खाद, बीज संबंधित कम्पनियों को भुगतान कर उसका उठाव करती है तथा लैम्पस/पैक्स के माध्यम से प्रखण्ड के अन्य समितियों में खाद-बीज, कीट नाशक दवा उपलब्ध कराया जाता है ताकि राज्य के सभी किसानों को अपने-अपने लैम्पस/पैक्स के माध्यम से उचित दर पर सुगमता पूर्वक उपलब्ध हो सके। जिसमें प्रति लैम्पस/पैक्स/समिति को लगभग 8 से 10 लाख रुपये की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही विशेष प्रकार की सहकारी समिति के द्वारा भी संबंधित समितियों के सदस्यों के आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किये जाने हेतु कार्यशील पूँजी की आवश्यकता होती है। इसके लिए राज्य के प्रखण्ड में उत्कृष्ट कार्य कर रहे लैम्पस/पैक्स एवं विशेष प्रकार की सहकारी समिति को कार्यशील पूँजी/कैष क्रेडिट एवं आधारभूत संरचना हेतु 1000.00 लाख (दस करोड़) रू0 मात्र व्यय प्रस्तावित है।

अतः वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रखण्ड में कृषि कार्य कर रहे उत्कृष्ट लैम्पस/पैक्स/व्यापार मंडल एवं विशेष प्रकार की सहकारी समिति को कार्यशील पूँजी/कैष क्रेडिट एवं आधारभूत संरचना योजना के लिए 1000.00 (दस करोड़) लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।

(e) सहकारिता प्रभाग अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु भवन निर्माण - आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में टोकन राशि के रूप में 1.00 (एक लाख) लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।

(f) सौर उर्जा चलित मिनी कोल्ड रूम का निर्माण - आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में टोकन राशि के रूप में 1.00 (एक लाख) लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।

(g) राज्य अंतर्गत अधिष्ठापित 30 एम0टी0 कोल्ड रूम का संचालन हेतु सोलर पैनल का निर्माण - आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में टोकन राशि के रूप में 1.00 (एक लाख) लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।

(h) लैम्पस/पैक्स/व्यापार मण्डल/विशेष प्रकार की सहकारी समिति/एफ0पी0ओ0/ सी0एल0एफ0/सहकारी संघ में 100 एम0टी0 क्षमता के गोदाम-सह-मार्केटिंग सेंटर का निर्माण - राज्य के 4454 लैम्पस/पैक्स एवं 77 व्यापार मंडलों में से 1553 के पास वर्तमान में कुल 1,68,550 एम0टी0 की भंडारण क्षमता उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि लैम्पस/पैक्स के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाओं यथा- खाद एवं बीज व्यवसाय, जमा वृद्धि, CSC, PDS, धान अधिप्राप्ति इत्यादि का क्रियान्वयन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में लैम्पस/पैक्स एवं व्यापार मंडलों में 100 एम0टी0 क्षमता के कुल-1723 गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026-27 में 48 लैम्पस/पैक्स एवं व्यापार मंडलों में 100 एम0टी0 क्षमता के गोदाम निर्माण प्रस्तावित है। जिसकी प्रति ईकाई प्राक्कलित राशि मो0 38,13,300.00 रु0 मात्र है, इस प्रकार कुल-48 X 38]13]300 = 18,30,38,400.00 (अठारह करोड़ तीस लाख अड़तीस हजार चार सौ) रु0 मात्र व्यय प्रस्तावित है।

अतः वित्तीय वर्ष 2026-27 में लैम्पस/पैक्स/व्यापार मण्डल/विशेष प्रकार की सहकारी समिति/एफ0पी0ओ0/ सी0एल0एफ0/सहकारी संघ में 100 एम0टी0 क्षमता के गोदाम-सह-मार्केटिंग सेंटर का निर्माण हेतु 18,30,38,400.00 (अठारह करोड़ तीस लाख अड़तीस हजार चार सौ) मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।

(i) प्रखण्ड स्तर पर उत्कृष्ट कार्य कर रहे लैम्पस/पैक्स/व्यापार मंडल में 500 एम0टी0 क्षमता का गोदाम निर्माण- राज्य के वैसे लैम्पस/पैक्स जो किसानों के हित में धान अधिप्राप्ति के साथ-साथ उर्वरक एवं बीज व्यवसाय तथा अन्य व्यवसाय करते हैं, के भंडारण हेतु संबंधित लैम्पस/पैक्स में 500 एम0टी0 क्षमता का गोदाम होना अत्यंत आवश्यक है। विगत वर्षों में उर्वरक एवं बीज व्यवसाय तथा धान अधिप्राप्ति में काफी वृद्धि हुई है। राज्य के कई जिलों में राईस मिल नहीं रहने के कारण धान अधिप्राप्ति करने वाले लैम्पस/पैक्स/व्यापार मण्डल को दूसरे जिले के राईस मिल से Tagg करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में भण्डारण क्षमता की आवश्यकता और अधिक प्रतीत होती है ताकि अधिक मात्रा में धान अधिप्राप्ति हो सके एवं उसका भंडारण किया जा सके। उक्त परिपेक्ष्य में प्रत्येक प्रखण्ड के संबंधित नोडल लैम्पस/पैक्स एवं व्यापार मण्डल में 500 एम0टी0 क्षमता का गोदाम आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में कुल-366 ईकाई का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026-27 में 24 लैम्पस/पैक्स एवं व्यापार मंडलों में 500 एम0टी0 क्षमता के गोदाम निर्माण प्रस्तावित है। जिसकी प्रति ईकाई प्राक्कलित राशि मो0 87,93,350.00 रु0 मात्र है, इस प्रकार कुल- 24 X 87 X 93 X 350 = 21,10,40,400.00 (इक्कीस करोड़ दस लाख चालीस हजार चार सौ) रु0 मात्र व्यय प्रस्तावित है।

अतः वित्तीय वर्ष 2026-27 में लैम्पस/पैक्स/व्यापार मण्डल में 500 एम0टी0 क्षमता के गोदाम का निर्माण हेतु 21,10,40,400.00 (इक्कीस करोड़ दस लाख चालीस हजार चार सौ) रु0 मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।

(j) World's Largest Grain Storage Plan in Co-operative Sector योजना अंतर्गत 2500 एम0टी0 क्षमता के कुल 72 गोदाम का निर्माण - CTP Division सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा World Largest Grain Storage Plan in Co-operative Sector योजनान्तर्गत राज्य में भारतीय खाद्य निगम के अनुसार Storage Gap (1.5 Lac MT) को पूरा करने हेतु राज्य के 24 जिलों में लैम्पस/पैक्स अंतर्गत 2500 एम0टी0 क्षमता के कुल 72 गोदाम निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त योजना अंतर्गत यदि 2500 एम0टी0 क्षमता का गोदाम निर्माण किया जाता है तो प्रति गोदाम की कुल लागत प्रति ईकाई 4,19,61,200.00 (चार करोड़ उनीस लाख एकसठ हजार दो सौ) रु0 मात्र होगी। राज्य योजना अंतर्गत स्वीकृति प्रदत्त के उपरांत उक्त योजना में नाबाई से AMI/AIF/Ancillaries Subsidy के रूप में 66,66,675.00 रु0 मात्र प्राप्त होगी एवं गोदाम निर्माण हेतु संबंधित समितियों को मो0 1,85,10,045.00 रु0 मात्र सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है, जो कि योजना का लगभग 60% राशि होगी तथा शेष राशि 40% (1,67,84,480) State Subsidy की राशि से किया जाना प्रस्तावित है।

प्रत्येक गोदाम के निर्माण हेतु कुल 40% State Subsidy की राशि 1,67,84,480 (एक करोड़ सड़सठ लाख चैरासी हजार चार सौ अस्सी) रू0 मात्र की दर से 72 गोदाम का निर्माण हेतु कुल- $72 \times 16784480 = 12084.82$ लाख (एक सौ बीस करोड़ चैरासी लाख बयासी हजार पाँच सौ साठ) रू0 मात्र का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

(क) राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अवस्थित लैम्पस/पैक्स में को-ऑपरेटिव मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स-सह- सोलर पैनल आधारित कोल्ड रूम का निर्माण - राज्य के 4454 लैम्पस/पैक्स अंतर्गत वैसे लैम्पस/पैक्स जो हाट बाजार/शहर में अवस्थित है, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु लैम्पस/पैक्स में को-ऑपरेटिव मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स-सह-सोलर पैनल आधारित कोल्ड रूम का निर्माण किया जाना है, जिससे समिति क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले व्यक्तियों को उचित दर पर खाद्य सामग्री, दैनिक उपभोग की वस्तुएँ एवं लघु वनोपज इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही राज्य अंतर्गत किसानों के perishable goods के भंडारण की भी आवश्यकता है। अतः उक्त के आलोक में राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के एक लैम्पस/पैक्स का चयन कर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स-सह-सोलर पैनल आधारित कोल्ड रूम का निर्माण जिया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए प्रथम चरण में 162,20,89,800.00 (एक सौ बासठ करोड़ बीस लाख नवासी हजार आठ सौ) रू0 मात्र की व्यय प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार प्रथम चरण में एक लैम्पस/पैक्स में को-ऑपरेटिव मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स-सह-सोलर पैनल आधारित कोल्ड रूम का निर्माण हेतु कुल-162,20,89,800.00 (एक सौ बासठ करोड़ बीस लाख नवासी हजार आठ सौ) रू0 मात्र का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

6. सिद्धो-कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य एवं जिला सहकारी संघ लि0 के लिए हिस्सापूँजी एवं कंस्ट्रेंसी सर्विसेज - आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में टोकन राशि के रूप में 1.00 लाख (एक लाख) रू0 मात्र का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

7. ऐपेक्स एवं अन्य सहकारी समितियों को हिस्सा पूँजी अंशदान - आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में टोकन राशि के रूप में 1.00 (एक लाख) लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।

8. प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों को अनुदान - झारखण्ड राज्य के विभिन्न प्रखण्डों में झारखण्ड सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 के अंतर्गत निबंधित प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों को अनुदान उपलब्ध कराने हेतु कार्ययोजना एवं प्रस्ताव:-

झारखण्ड राज्य के झारखण्ड सहकारी समितियाँ अधिनियम 1935 के अंतर्गत निबंधित विभिन्न प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियाँ, जिनकी संख्या-168 हैं, के द्वारा कच्चा माल जैसे सूत, रंग करघा, राछ इत्यादि को संग्रहित कर कपड़ा तैयार करवाना और उन कपड़ों की बिक्री का प्रबंध करना मुख्य कार्य किये जाते हैं। समय समय पर सदस्यों को कार्यों में गुणवत्ता प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

उपरोक्त प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों के कार्यों की समीक्षा से ऐसा प्रतीत होता है कि समितियों में पर्याप्त पूँजी के अभाव में समिति के सदस्यों को सहकारिता का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है एवं लूम के मरम्मत की भी आवश्यकता है।

उपरोक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों को अनुदान हेतु कुल-200.00 लाख (दो करोड़) रू0 मात्र का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

केन्द्र प्रायोजित योजना (चालू योजना)

1. पैक्स कम्प्यूटरीकरण- सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना “पैक्स का कम्प्यूटरीकरण” कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना अन्तर्गत हार्डवेयर, डिजीटाईजेशन एवं सपोर्ट सिस्टम में होने वाले व्यय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत राज्यांश के रूप में मो0 994.00 लाख (नौ करोड़ चैरानबे लाख) रू0 मात्र एवं केन्द्रांश के रूप में 1491.00 लाख (चैदह करोड़ एकानबे लाख) रू0 मात्र कुल-2485.00 (चैबीस करोड़ पचासी लाख) लाख रू0 मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।

2. निबंधक एवं संलग्न कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण - केन्द्रीय प्रायोजित योजना Computerization of RCS office अंतर्गत Software Development हेतु मो0 150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख) रू0 मात्र भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना है। परन्तु उक्त Software का Maintance & Upgradation हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 में मो0 30.00 लाख रू0 मात्र अर्थात् 15.00 लाख रू0 प्रति वर्ष की दर से व्यय होना प्रावधानित है। जिसमें से 18.00 लाख रू0 भारत सरकार एवं 12.00 लाख रू0 राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। **अतः वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु उक्त मद में 15.00 लाख रू0 मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।**